रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 1986/चैत्र 14, 1908
No. 171] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 1986/CHAITRA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1986

सं० 236/86-सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 603(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के महानिदेशक को उसकी अधिकारिता के भीतर सीमा-शुल्क कलक्टर नियुक्त करती है।

टिप्पण : महानिदेशक का अधिकारिता समस्त भारत पर विस्तारित होगी।

[फा० सं० 437/2/86-सी० शु०-4]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 4th April, 1986

No 236|86—CUSTOMS

G.S.R. 603(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government hereby appoints the Director-General of the Central Economic Intelligence Bureau as Collector of Customs, within his jurisdiction.

Note : The jurisdiction of the Director-General shall extend to the whole of India.

[F. No. 437|2|86-Cus. IV]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986